न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या 69/2022

प्रार्थी		अप्रार्थी
1 मंजू देवी पत्नि जगदीशचन्द्र,	1	राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) सोजत, तह0–सोजत।
2 पारसमल पुत्र सोनाराम		
3 सायरी देवी पत्नि पारसमल		
4 ताराराम पुत्र सोनाराम		
5 रामचन्द्र पुत्र सोनाराम		
6 लीला देवी, जाति माली, नि0 धन्धेड़ी, तह0 सोजत जिला पाली, (राज0)		

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

1. **श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।**
2. **तहसीलदार, सोजत उपस्थित।**

–: निर्णय :– दिनांक 22.07.2022

अधिवक्ता मय प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा धन्धेडी, प0ह0 धन्धेडी, भू0अभि0 अटपड़ा, तह0 सोजत जिला पाली, प्रार्थीगण की कृषि भूमि पुराने खसरा नंबर 635 रकबा 1.4100 है0, किस्म बा0अ0, के पूर्व में ख0न0 634 व खसरा नंबर 625 का कुछ भाग, पश्चिम में ख0न0 637, उत्तर में ख0न0 624 व 625 का कुछ भाग, दक्षिण में ख0न0 636, पुराने खसरा नंबर 636 रकबा 2.4600 है0 किस्म बा0अ0 के पूर्व में खसरा नंबर 617 व 634 का कुछ भाग, पश्चिम में खसरा नंबर 637, उतर में खसरा नंबर 635 व खसरा नंबर 634 का कुछ भाग, दक्षिण में खसरा नंबर 664, पुराने खसरा नंबर 637 रकबा 1.4800 है0 बा0अ0 के पूर्व में खसरा नंबर 635 व 636, पश्चिम में खसरा नंबर 638, उतर में खसरा नंबर 624 व खसरा नंबर 622 का कुछ भाग, दक्षिण में खसरा नंबर 664 कुल खसरा 03 कुल रकबा 5.3500 है0 है। उक्त तीनो खसरे से नये खसरे बने पुराना खाता नंबर 93 के नये खाता नंबर 401 के खसरा नंबर 970/635, 971/635 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.3130 है0 किस्म बा0अ0, उक्त सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी संख्या 01 मंजू देवी है। पुराने खाता संख्या 253 के नये खाता संख्या 93 के ख0न0 969/635 रकबा 1.0970 है0 किस्म बा0अ0 उक्त कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 02 पारसमल का 5/7 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 03 सायरी देवी का 2/7 हिस्सा है। पुराने खाता नंबर 258 के नये खाता नंबर 267 के खसरा नंबर 956/637 रकबा 0.6900 है0 किस्म बा0अ0 उक्त कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 04 ताराराम का 1/3 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 02 पारसमल का 1/3 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 05 रामचन्द्र का 1/3 हिस्सा अन्तनिहित है। पुराने खाता संख्या 267 के नये खाता संख्या 396 के खसरा नंबर 957/637 रकबा 0.7900 है0 किस्म बा0अ0 कृषि भूमि में प्रार्थी का संख्या 06 लीला देवी का

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

सम्पूर्ण हक हिस्सा है। पुराने खाता संख्या 92 के नये खाता संख्या 395 के खसरा नंबर 955/636 रकबा 1.3200 है0 किस्म बा0अ0 की भूमि प्रार्थी लीला देवी का सम्पूर्ण हक हिस्सा है। पुराने खाता संख्या 252 के नये खाता संख्या 92 के खसरा नंबर 954/636 रकबा 1.1400 है0 किस्म बा0अ0 कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 04 ताराराम का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 पारसमल का 1/3 हक हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 05 रामचन्द्र का 1/3 हिस्सा अन्तनिर्हित है। खसरा नंबर 635 के खातेदार प्रार्थी संख्या 02 पारसमल पुत्र सोनाराम, प्रार्थी संख्या 01 मंजू पत्नि जगदीशचन्द्र एवं प्रार्थी संख्या 03 सायरी पत्नि पारसमल ने प्रशासन गावो के संग अभियान वर्ष 2021 के कैम्प मण्डला में दिनांक 26.11.2021 को आपसी सहमति बंटवाड़ा का प्रा0 पत्र पेश किया जिसके अनुसार आपसी सहमति बंटवाड़ा तहसीलदार, सोजत द्वारा मंजूर किया गया जिस आपसी सहमति बंटवाड़ा का म्यूटेशन नंबर 1118 भरा गया। जिस म्यूटेशन की अनुपालना में नये खसरा नंबर 970/635, 969/635, 971/635 बने। खसरा नंबर 970/635, 971/635 का खातेदार प्रार्थी संख्या 01 मंजू देवी है। खसरा नंबर 969 के खातेदार पारसमल प्रार्थी संख्या 02 व सायरी प्रार्थी संख्या 03 है। उक्त आपसी सहमति बंटवाड़ा का म्यूटेशन के राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम करते वक्त खसरा नंबर 970/635 की तरमीम पुराने खसरा नंबर 635 के उतरी छोर पर 637 के चिपते की गई व खसरा नंबर 971/635 की की तरमीम खसेरा नंबर 636 के चिपते पुराने खसरा नंबर 635 के दक्षिणी छोर पर की गई है व शेष बचे हिस्से पर 969/635 की तरमीम की गई। पुराने खसरा नंबर 637 में प्रार्थी संख्या 04 ताराराम का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 02 पारसमल का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 05 रामचन्द्र का 1/3 हक हिस्सा खातेदारी दर्ज थी। उक्त कृषि भूमि के कुल रकबा 1.4800 है0 में से 0.7900 है0 की कृषि भूमि को प्रार्थी संख्या 4, 2 व 5 के द्वारा दिनांक 05.07.2021 को जरिए रजिस्टर्ड बेचान प्रार्थी संख्या 06 लीला देवी को कर दिया गया। उक्त रजिस्टर्ड बेचान करते समय बेचान सुदा भूमि के पूर्व में ख0न0 637 की शेष भूमि, पश्चिम में ख0न0 638 की शेष भूमि, उतर में ख0न0 में ख0न0 637 की शेष भूमि, दक्षिण में ख0न0 664 की भूमि है स्थित है। उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा का नामान्तरकरण 1077 भरा गया। जिससे पुराने खसरा नंबर 637 के नये दो खसरे 956/637 व 957/637 बने। पुराने खसरा नंबर 636 रकबा 2.4600 है0 की कृषि प्रार्थी प्रार्थीगण संख्या 02 पारसमल, 04 ताराराम व रामचंद्र के नाम दर्ज थी। जिसमें क्रमशः 1/3–1/3–1/3 हिस्सा अन्तरनिहित था। उक्त कृषि भूमि रकबा 2.4600 है0 में से 1.3200 है0 की कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 02, 04 व 05 के द्वारा प्रार्थी संख्या 06 को कर दी गई। जिस बेचान में भी बेचान की गई कृषि भूमि 1.3200 है पड़ौस में पूर्व में 617, पश्चिम में 637, उतर में 636 की शेष भूमि, दक्षिण में 664 की कृषि भूमि दर्शित की गई है। उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा का नामान्तरकरण 1074 भरा गया। जिसके नये खसरा नंबर 955/636, 954/636 बने। म्यूटेशन नंबर 1077, 1074 व आपसी सहमति बंटवाड़ा के अनुसार नये खसरा नंबर **957/637 के पूर्व** में ख0न0 995/636 व 956/637, पश्चिम में ख0न0 638, उतर में ख0न0 956/637 की भूमि, दक्षिण में ख0न0 664 एवं **खसरा नंबर 956/637 के पूर्व में** ख0न0 970/635, 969/635, 971/635, 954/636, 655/636, पश्चिम में ख0न0 638 व 957/637, उतर में खसरा नंबर 624 की भूमि, दक्षिण में ख0न0 957/637 एवं **खसरा नंबर 955/636** के पूर्व में

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

617, पश्चिम में 956/637, 957/637, उत्तर में 954/363, दक्षिण में 664, तथा खसरा नंबर **954/636 के पूर्व में 617, 634 पश्चिम में 956/637, उत्तर में ख0न0 971/635, दक्षिण में** ख0न0 955/636, **तथा खसरा नंबर 970/635 के पूर्व में 696/635, पश्चिम में 956/637,** उत्तर में 624, दक्षिण में 969/635, **एवं खसरा नंबर 969/635 के पूर्व में 634, पश्चिम में** 956/637, उत्तर में 970/635 का कुछ भाग व खसरा नंबर 624, दक्षिण में ख0न0 971/635, तथा खसरा नंबर 971/635 के पूर्व में 634, पश्चिम में 956/637, उत्तर में 969/635, दक्षिण में 954/635 अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जाना चाहिए था। आनलाईन सेग्रीगेशन के समय पद संख्या 05 में वर्णित दिशानुसार तरमीम न होकर कम्प्यूटर की त्रुटि से खसरा नंबर 671/635, 679/635 व 970/635 जो कि पुराने खसरा नंबर 637 के नये बने खसरा नंबर 956/637 के पूर्वी दिशा में थे। गलती से उक्त तीनो खसरे खसरा नंबर 956/637 के उतरी दिशा में तरमीम हो गये। जो कि गलत तरमीम हो गये। खसरा नंबर 954/636 व 955/637 जो कि पुराने नंबर 637 के पूर्वी दिशा में स्थित थे व खसरा नंबर 634 व 617 के पश्चिमी दिशा में स्थित थे व नये खसरा नंबर 971/635 के दक्षिणी दिशा में व खसरा नंबर 664 के उतरी दिशा में स्थित थे की गलत तरमीम होने से खसरा नंबर 954/636 के उतरी भाग में कही पर भी खसरा नंबर 634 की तरमीम नही हुई न ही पूर्वी भाग में खसरा नंबर 617 की तरमीम हुई। जो कि गलती से अब कम्प्यूटर की त्रुटि से दर्ज हो गया। इसी प्रकार ख0न0 955/636 की पश्चिमी दिशा में केवल खसरे 956/637 व खसरा नंबर 957/636 थे जबकि वर्तमान में खसरा नंबर 954/636 का भी कुछ भाग समाहित हो गया, जो कि गलत तरमीम हो गया। इसी प्रकार खसरा नंबर 957/637 व 956/636 के उतरी भाग में खसरा नंबर 624 व पश्चिमी दिशा के बराबरी के संपूर्ण खसरा 638 का आधा भाग ही रहा जबकि पूर्व में खसरा नंबर 638 का संपूर्ण भाग था, जो की गलत तरमीम हो गया है, उक्त गलत हुई तरमीम को सुधारने तदानुसार रेकर्ड दुरूस्ती व तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार, सोजत को प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब प्रा0 पत्र पेश कर नहीं किये जाने से जबाब प्रा0पत्र बंद किया गया। तहसीलदार, सोजत से मौका व रेकर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक / न्यायालय / राजस्व/2022/2077 दिनांक 19.07.2022 को पेश कर अंकित किया कि राजस्व वाद में बिन्दु संख्या 01 में जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर, रकबा, किस्म व खातेदारी दर्ज है जो कि वर्तमान आनलाईन जमाबंदी खाता संख्या 87, 92, 93, 267, 395, 396, 401 अनुसार दर्ज है जमाबंदी नकल संलग्न है। उक्त खसरा नंबर 635 की राजस्व प्रशासन गांवो के संग अभियान में आपसी सहमति बंटवाड़ा कर नामान्तरण संख्या 1118, दर्ज किया गया जिसमें मूल खसरा नंबर 635 के बटटा नम्बर क्रमशः 969/635, 970/635 व 971/635 का नवीन इन्द्राज किया गया। ग्राम धन्धेडी के खसरा नंबर 637 का बेचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण संख्या 1077 दर्ज किया गया जिसके बटटा नंबर 956/637, 957/637 का नवीन इन्द्राज किया गया। इसी प्रकार खसरा नंबर 636 का बेचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण संख्या 1074 दर्ज किया

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

गया जिसके बटटा नंबर 954/636 व 955/636 का नवीन इन्द्राज किया गया। बंटवाड़ा व बैचाननामा के नामान्तरण द्वारा नवीन बटटा नंबर 969/635, 970/635, 971/635, 954/636, 955/636, 956/637 व 957/637 की तरमीम आनलाईन नक्शे में की गई। चूंकि उक्त मूल खसरा नंबर 634, 635, 636, 637 की तरमीम आनलाईन नक्शे में लटठा ट्रेस से भिन्न थी। आनलाईन नक्शें में हुई तरमीम को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। राजस्व वाद के बिन्दु संख्या 05 के अनुसार नवीन खसरा नंबर की मौका स्थिति, नक्शा लटठा व रेकर्ड अनुसार प्रस्तावित तरमीम शुद्धि संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाई गई है एवं मूल नंबर काली स्याही से दर्शाई गई है। संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार खंसरा नंबर 634, 969/635, 970/635, 971/635, 954/636, 955/636, 956/637, 957/637 की तरमीम दुरस्ती का प्रस्ताव वर्तमान मौका स्थिति व पूर्व की नक्शा लटठा की स्थिति के अनुसार तैयार किया गया नक्शा ट्रेस मूल रिपोर्ट का भाग समझा जावें। उक्त वाद अनुसार खसरा नंबर केवल तरमीम दुरूस्ती ही की जानी है अतः इनके खातेदार रकबा एवं किस्म व हिस्से प्रभावित नहीं हुए है अतः वाद में खातेदार, रकबा, किस्म हिस्से वर्तमान आनलाईन जमाबंदी अनुसार ही है। इस प्रकार तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नक्शा लटठा प्रस्ताव में दर्शित दिनांक 19.07.2022 एवं लाल स्याही से दर्शित तरमीम दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ करके जबाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की स्वीकारोक्ति व्यक्त की है तथा तदानुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने की अभिशंषा अंकित की है।

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार, सोजत सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार हो जाने से तरमीम दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार, सोजत ने कोई आपति नही होना व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र, तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नक्शा लटठा प्रस्ताव में दर्शित दिनांक 19.07.2022 तथा जबाब प्रा0 पत्र का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी तथा अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर भी गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः राजस्व रेकर्ड तथा नक्शा में वास्तविक मौके की स्थिति अनुसार मौका रिपोर्ट आदि तथा अभिशंषा लैण्ड होल्डर तहसीलदार, सोजत द्वारा स्वीकारोक्ति / सहमति दी जा चुकी है। चूंकि राजस्व रिकार्ड व नक्शा में त्रुटि को दुरूस्त किये जाने के अधिकार न्यायालय हाजा में निहित है। तहसीलदार सोजत ने भी अपनी रिपोर्ट में नजरी नक्शा में अंकित लाल स्याही के नक्शे के अनुरूप तरमीम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाना तथा तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस प्रस्ताव में दर्शित दिनांक 19.07.2022 में पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाना तथा नजरी नक्शे में दर्शित लाल स्याही

उप खण्ड अधिकारी
सोजत, (जिला-पाली) राज

के नक्शे के अनुरूपी पुनः तरमीम दुरूस्ती किये जाने तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा धन्धेडी, तहसील—सोजत में स्थित खसरा नंबर खसरा नंबर 957/637 , 956/637, 634 955/636, 954/636, 970/635, 969/635, 971/635 की भूमि पूर्व में की गई नक्शा लटठा में की गई तरमीम को निरस्त किया जाता है तथा नजरी नक्शा में अंकित लाल स्याही अनुसार रेकर्ड में तरमीम दुरूस्ती किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। नजरी नक्शा निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय तथा नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 22.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज